| |
|---|
| दिनांक 22.10.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 33 / 2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम द्वारा उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति के पक्ष में प्रदान किया गया चेक

**श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र को आज दिनांकः 22.10.2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी0सी0 मीना द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी (CSR) के अंतर्गत पुलिस मॉडर्न स्कूल हेतु सचिव, उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति, लखनऊ के पक्ष में 21,99,000/-(इक्ककीस लाख निन्यानवे हजार) रूपये का चेक प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम द्वारा निगमीय सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अर्जित किये गये लाभ से उ0प्र0 पुलिस शिक्षा कोष को नियमित रूप से धनराशि प्रदान की जाती है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पुलिस विभाग के सभी प्रकार के भवनों के निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु पुलिस विभाग की निर्माण एजेन्सी के रूप में उ०प्र० पुलिस आवास निगम लिमिटेड की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांकः 27 मार्च, 1987 को की गयी थी। निगम अपनी स्थापना के बाद से पुलिस विभाग के सभी भवनों के निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी कार्यों को उच्च गुणवत्ता एवं स्वीकृत लागत में समय से पूर्ण कराता आ रहा है। निगम कार्मिकों द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये कठिन परिश्रम के फलस्वरूप निगम ने प्रशंसनीय लाभ अर्जित किया है।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम के महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

CSR CONTRIBUTION (F. Y. - 2024-25)
UP POLICE AVAS NIGAM, LUCKNOW
Bank of Baroda
CBS
17092024
Or Bearer
Pay सचिव उ0 प्र0 पुलिस शिक्षा समिति, लखनऊ
Rupees रुपये इक्कीस लाख निन्यानबे हजार मात्र
₹ 21,99,000.00
34300100000032
FOR UTTAR PRADESH POLICE AVAS NIGAM LTD
Meena)
C.M.D/D.G. I.P.S

| दिनांक 22.10.2024 |
|---|
| प्रेस विज्ञप्ति 34/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- **25–25 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लगभग 01 कुन्तल 20 किलोग्राम चोरी के पीतल के बर्तन**
- **03 हजार 60 रूपये नगद, 02 सीसीटीवी, डीवीआर आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 21.10.2024 को थाना चुनार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचरावं मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल 2–आकाश 3–अमिताभ 4–सूरज सहित अभियुक्त 5–मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण, लगभग 01 कुन्तल 20 किलोग्राम चोरी के पीतल के बर्तन, 03 हजार 60 रूपये नगद, 02 सीसीटीवी, डीवीआर आदि, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिसमें अभियुक्त नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल के विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्त आकाश के विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल, आकाश, अमिताभ, सूरज थाना चुनार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल निवासी ग्राम भड़ाव थाना जन्सा कमिश्नरेट वाराणसी।

2—आकाश निवासी ग्राम मंगलावीर थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।

3—अमिताभ निवासी ग्राम सारंगपुर थाना जन्सा कमिश्नरेट वाराणसी।

4—सूरज निवासी नवापुर बोइसर थाना पालघर जनपद पालघर महाराष्ट्र।

5—मनोज निवासी गंगापुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

**बरामदगी**

1—चोरी के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण।

2—लगभग 01 कुन्तल 20 किलोग्राम चोरी के पीतल के बर्तन।

3—03 हजार 60 रूपये नगद, 02 सीसीटीवी, डीवीआर आदि।

4—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

## कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना धूमनगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.10.2024 को थाना धूमनगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना धूमनगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरस्कार घोषित अभियुक्त सरफराज उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना धूमनगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—सरफराज उर्फ गुड्डू निवासी गौस नगर, हमसफर गेस्ट हाउस करेली, स्थाईपता मकनपुर असरावल कला थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

**जनपद महोबा/थाना चरखारी**

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 22.10.2024 को थाना चरखारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बपरेथा नाला के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1—बाबू 2—राजू 3—अजीत 4—भइया लाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चरखारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—बाबू निवासी झीरसहेवा थाना कबरई जनपद महोबा।

2—राजू निवासी कुल्हेडा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

3—अजीत निवासी ग्राम अनघौरा थाना चरखारी जनपद महोबा।

4—भइया लाल निवासी ग्राम अनघौरा थाना चरखारी जनपद महोबा।

**बरामदगी**

1—07 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना पूरामुफ्ती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पूरामुफ्ती पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त 1—लालचन्द्र 2—अमरनाथ को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना घोसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 22—22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/304/149/323/325/427/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—जनार्दन 2—रामवृक्ष 3—संगी उर्फ संतराज 4—परमा को आजीवन कारावास व 22—22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना गजनेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना गजनेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामकेश उर्फ जग्गा को आजीवन कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बेवाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बेवाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय उर्फ शिब्बू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अंकिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सराय अंकिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/316 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————